भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2039
दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीकर और झुंझुनूं जिलों में जल जीवन मिशन के लिए कार्य-आदेश

2039. श्री अमरा रामः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सीकर और झुंझुनूं जिलों के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कार्य-आदेश किस समय तक जारी किए जाने की संभावना है और उक्त कार्यों के किस समय तक पूरा होने की संभावना है; और
(ख) सीकर जिले में जेजेएम के अंतर्गत अब तक दी गई स्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है और कार्यों के पूरा होने की संभावित तिथि, पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या और आज की तारीख तक अधूरे पड़े कार्यों की संख्या कितनी है तथा अधूरे कार्यों के किस समय तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए, जेजेएम के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राजस्थान सहित सभी राज्यों की सहायता करती है।

राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिलों सहित देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी से, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को कार्यान्वित कर रही है।

जेजेएम की घोषणा के समय, सीकर जिले में लगभग 43,600 (11.4%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 18.07.2026 तक राज्य द्वारा सूचित

किए गए अनुसार, लगभग 2.10 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, जिले में 3.83 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2.53 लाख (66%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इसी तरह, मिशन की शुरुआत में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में लगभग 60,000 (17.2%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 18.07.2026 तक राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जेजेएम के तहत लगभग 1.29 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, जिले के 3.47 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 1.89 लाख (54.3%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए *अन्य बातों के साथ-साथ* ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अलग-अलग परियोजनाओं के कार्य आदेश जारी करने सहित परियोजना-वार ब्यौरा राज्य सरकार के स्तर पर रखा जाता है।

सरकार ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन शामिल है।
